भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 114*

दिनांक 03.03.2015/12 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

नस्लीय हमले

†*114. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नस्लीय हमलों की घटनाओं की जानकारी मिली है;
(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान पता चले ऐसे मामलों का माह-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;
(ग) क्या देश का कानून मूलवंश, नस्ल, भाषा अथवा धर्म के आधार पर अपराध, भेदभाव अथवा हिंसा को निषिद्ध करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार मूलवंश, नस्ल, भाषा अथवा धर्म के आधार पर अपराधीकरण या भेदभाव को समाप्त करने हेतु कोई विधान लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) नस्लीय हमलों की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 03.03.2015 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 114 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ) : ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, दिल्ली, गुडगांव और बेंगलुरू में पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों पर हमलों की कुछ घटनाओं की सूचना मिली थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2014 में, उनके प्रति किए गए विभिन्न अपराधों के संबंध में पूर्वोत्तर भारत के नागरिकों द्वारा दिल्ली में 286 मामले, गुड़गांव में 9 मामले और बेंगलुरु में 7 मामले दर्ज कराए गए थे। सभी मामलों की पुलिस द्वारा विधिवत जांच की जाती है और घटनाओं में शामिल पाए गए शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया गया था।

जाति, जातीयता, भाषा अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव के मामलों से निपटने के लिए कानून के पर्याप्त उपबंध हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों पर हमलों की घटनाओं से निपटने के लिए कठोर तंत्र बनाने का अनुरोध करते हुए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी-पत्र जारी किए गए हैं। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र परामर्शी-पत्रों में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं।

देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से महानगरों में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के व्यक्तियों के मामलों का समाधान करने और सरकार द्वारा किए जा सकने वाले उपयुक्त उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए श्री एम.पी. बेजबरूआ सदस्य, पूर्वोत्तर परिषद की अध्यक्षता में अन्य सदस्यों सहित फरवरी, 2014 में एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों में मुख्य रूप से विधि संबंधी उपाय, दिल्ली, एनसीआर और देश के अन्य भागों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए पुलिस की विशेष पहलें, पूर्वोत्तर के बारे में लोगों को शिक्षित करने और आवास की कमी सहित उनकी शिकायतों का निवारण आदि शामिल हैं। इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

****